न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, आई०ए०एस० (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 46 / 18 RCMS id : 2018 / 00083

हनुमान आत्मज चतुर्भुज, उम्र 40 साल, जाति मीणा, निवासी ग्राम डोबडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

–(वादी)

वनाम

1. गोकुल प्रसाद आत्मज चतुर्भुज, उम्र 28 साल, जाति मीणा, निवासी ग्राम डोबडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. संजू पुत्री चतुर्भुज पत्नी श्री भूरालाल जाति मीणा, उम्र 28 साल, निवासिनी ग्राम डोबडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3. राजेश उर्फ राजूबाई पुत्री चतुर्भुज पत्नी राजेन्द्र, उम्र 35 साल, जाति मीणा, निवासिनी ग्राम मोरपा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
4. बीना पुत्री चतुर्भुज पत्नी मनोज, उम्र 33 साल, जाति मीणा, निवासिनी ग्राम काल्याखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5. मीना पुत्री चतुर्भुज पत्नी गिरिराज, उम्र 30 साल, जाति मीणा, निवासिनी ग्राम डाहरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
6. निर्मला पुत्री चतुर्भुज, उम्र 25 साल, जाति मीणा, निवासी ग्राम डोबडा, निवासिनी ग्राम डोबडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
7. कलावती पत्नी स्व. चतुर्भुज, उम्र 65 साल, जाति मीणा, निवासिनी ग्राम डोबडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

दिनांक : 13.03.2020

उपस्थिति : वादी अभिभाषक श्री उत्तमचन्द खण्डेलवाल

निर्णय

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 के अन्तर्गत बाबत खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती प्रस्तुत किया गया है।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि :–
   - ग्राम डोबडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 301, 302, 303, 304, 367, 367 / 741, 375, 377, 413, 615, 618, 684 व 685 कुल किता 13 रकबा 9.93 हैक्टर स्थित है जो अन्य खातेदारों के साथ संयुक्त खाते में दर्ज है तथा उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 7 का 1 / 5 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।

Scanned by CamScanner

- इसी प्रकार ग्राम डोबडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 379 रकबा 0.41 हैक्टर स्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 7 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है।
- साथ ही ग्राम कोथला, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 189/290, 190, 190/299, 191, 192/304, 192, 193, 194, 195, 195/300 व 196 कुल किता 11 रकबा 9.14 हैक्टर स्थित है जो अन्य खातेदारों के साथ संयुक्त खाते में दर्ज है तथा उक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 7 का राजस्व रिकार्ड में 1/40 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।
- उपरोक्त वर्णित तीनों खातों में दर्ज भूमि में से खसरा नम्बर 379 की 0.41 हैक्टर भूमि स्व. चतुर्भुज के तन्हा खातेदारी की भूमि थी तथा अन्य दो खातों में दर्ज भूमि स्व. चतुर्भुज को विरासत में प्राप्त भूमि थी। स्व. चतुर्भुज के स्वर्गवास के पश्चात उक्त तन्हा खाता व विरासत में प्राप्त भूमि उनके हिस्से के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 लगायत 7 के खाते में संयुक्त रूप से दर्ज कर दी गई।
- वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 7 मीणा जाति के है तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है तथा हिन्दू लॉ एवं कोटा स्टेट सर्कुलर नम्बर–3 से गवर्न होते है और हिन्दु लॉ में वर्णित उत्तराधिकार कानून के अनुसार पुत्रों के रहते हुये पुत्रियों एवं माता का सम्पत्ति पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा कानून के विपरीत जाकर चतुर्भुज के स्वर्गवास के पश्चात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अनुसार स्व. चतुर्भुज के सभी पुत्रों, पुत्रियों एवं बेवा केनामान्तरकरण खोलते हुये राजस्व रिकार्ड में सभी का नाम दर्ज कर दियाजबकि चतुर्भुज के स्वर्गवास के बाद उनके खाते एवं कब्जे की भूमि केवल वादी एवं प्रतिवादी नम्बर–1 के खाते में दर्ज की जानी चाहिये थी किन्तु जानबूझकर वादी एवं प्रतिवादी क्रम–1 के साथ प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 7 का नाम भी दर्ज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है तथा प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 7 का नाम हटाकर राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राज की दुरूस्ती किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।
- वादी ने प्रतिवादी नं. 2 लगायत 7 से राजस्व रिकार्ड में से उनका नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्ज हो जाने के कारण्ण उत नाम हटवाने की बाबत कहा किन्तु प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 7 बहानेबाजी करके टालमटोल करते रहे तथा अन्त में दिनांक 30.06.2018 को प्रतिवादीगण ने नाम हटवाने से इन्कार कर दिया। इस कारण वादी के पास माननीय न्यायालय में नियमित वाद पेश करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रहा।
- प्रतिवादी क्रम–8 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है जो फार्मल पक्षकार है, इसके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं चाही गई है। इसी प्रकार अन्य संयुक्त खातेदारों के विरूद्ध किसी प्रकार की सहायता नहीं चाही जाने के कारण वाद में पक्षकार बनाये जाने की आवश्यकता नहीं होने के कारण वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

Scanned by CamScanner

- वाद कारण वादपत्र में वर्णित भूमि में चतुर्भुज के स्वर्गवास के पश्चात त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 7 का नाम दर्ज कर देने तथा प्रतिवादी द्वारा दिनांक 30.06.2018 को उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त करवाने से इन्कार कर देने पर उत्पन्न हुआ।
- वादग्रस्त तहसील लाडपुरा के भूमि ग्राम डोबडा व ग्राम कोथला में स्थित होने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। वाद निश्चित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।
- वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी ने पूर्व में किसी न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया है और न ही किसी न्यायालय में विचाराधीन है।
- अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित आराजी में से प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 7 का नाम हटाया जाकर ग्राम कोथला की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर–1 का 1/40 हिस्से का, ग्राम डोबडा के संयुक्त खाते की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 का 1/5 हिस्से का तथा ग्राम डोबडा के खसरा नम्बर 379 की भूमि में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर–1 को समभाग का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करावें।
- वादी द्वारा वादपत्र के कथनों के समर्थन में विवादित आराजियात से सम्बन्धित निम्न राजस्व दस्तावेजात संवत 2071–2074 पेश किये गये है :–

प्रदर्श–1 : नकल जमाबन्दी ग्राम डोबडा, संवत 2071–2074, खसरा नम्बर 379 रकबा 0.41 हैक्टर

प्रदर्श–2 : नकल जमाबन्दी ग्राम डोबडा, संवत 2071–2074, कुल खसरा किता 13 रकबा 9.93 हैक्टर

प्रदर्श–3 : नकल जमाबन्दी ग्राम कोथला, संवत 2071–2074, कुल खसरा किता 11 रकबा 9.14 हैक्टर

प्रदर्श–4 : नकल जमाबन्दी ग्राम डोबडा, संवत 2059–2062, कुल खसरा किता 13 रकबा 9.93 हैक्टर

प्रदर्श–5 : नकल जमाबन्दी ग्राम कोथला, संवत 2061–2064, कुल खसरा किता 11 रकबा 9.14 हैक्टर

प्रदर्श–6 : ग्राम डोबडा के नामान्तरकरण संख्या 143 दिनांक 07.06.2004 की नामान्तरकरण पंजिका

3. न्यायालय में पेश वाद में प्रतिवादीगण तलवी हेतु सम्मन जारी किये गये जिसमें प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 7 के सम्मन अदम तामील लौटने पर, पुनः जरिये पंजीकृत डाक सम्मन जारी किये गये। इसके पश्चात 120 दिन से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 7 के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ फलस्वरूप आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार सम्यक तामील की घोषणा होने पर आदेश 9 नियम 6[1](क) सीपीसी के अनुसार प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी अभिभाषक द्वारा वादी गवाह हनुमान पुत्र स्व. चतुर्भुज के साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया किया, उसके (मुख्य परीक्षण के) बयान दर्ज किये गये। प्रकरण में पेश दस्तावेजात पर वादी अभिभाषक द्वारा प्रदर्श डाले गये।

Scanned by CamScanner

4. प्रकरण की एकपक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 7 की जाति मीणा है, जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है तथा हिन्दू लॉ एवं कोटा स्टेट सर्कुलर नम्बर–3 से गवर्न होते है और हिन्दु लॉ में वर्णित उत्तराधिकार कानून के अनुसार पुत्रों के रहते हुये पुत्रियों एवं माता का सम्पत्ति पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है फिर भी वादी एवं प्रतिवादीवादी क्रम 1 लगायत 6 के पिता एवं प्रतिवादी क्रम 7 के पति चतुर्भुज की मृत्योपरान्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा खोले गये, स्व. चतुर्भुज के फोती इंतकाल में उनकी पुत्रियों व पत्नी का नाम भी दर्ज कर दिया, जो अवैधानिक है जबकि स्व. चतुर्भुज की मत्यु उपरान्त विधि अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 का नाम ही दर्ज किया जाना चाहिये था। राजस्व कर्मचारियों द्वारा किये गये इस त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के फलस्वरूप भविष्य में अनेक प्रकार के विवादों के जन्म लेने की पूर्ण संभावना है, जिनके निराकरण हेतु समय रहते विधि अनुसार प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 7 का नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जाकर स्व. चतुर्भुज के नाम ग्राम डोबडा व ग्राम कोथला में दर्ज आराजी का वादी एवं प्रतिवादी क्रम–1 को खातेदार घोषित किये जाने तथा तदनुसार ही राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती कराये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। वादी अभिभाषक द्वारा वादपत्र एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्त RRT 2014(2),Page 901-903 एवं RRT 2016(2), Page 1437-1441 पेश किये गये।

4. हमने वादी अभिभाषक की, प्रकरण पर सुनी गई बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि ***हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे।*** उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वादपत्र एवं राजस्व अभिलेख के अनुसार हम पाते है कि प्रस्तुत प्रकरण के वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 7 मीणा जाति के सदस्य है। स्व. चतुर्भुज पुत्र बद्रीलाल, जाति मीणा की मृत्यु उपरान्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा सामान्य प्रक्रियानुसार उनके समस्त वारिसान के नाम फोती इंतकाल संख्या 143 दिनांक 07.06.2004 खोला गया तथा इस फोती इंतकाल के फलस्वरूप स्व. चतुर्भुज पुत्र बद्रीलाल के वारिसों में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के साथ ही प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 7 का नाम भी दर्ज किया गया, जो कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के प्रावधानों के अनुसार विधिसंगत नहीं है क्योंकि Provisions & Amendments of Succession Act, 1956 do not apply to person of Scheduled Tribe as Meena caste of Scheduled Tribe is govern under Old Hindu Law so married daughters or females, belonging to Scheduled Tribe, namely Meena would not be entitled to inherit her parental (or husband's) property, where Male successor is/are present alive. उपरोक्त समस्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि प्रस्तुत प्रकरण के पक्षकारान के अनुसूचित जनजाति "मीणा" संवर्ग से सम्बन्धित होने के कारण वाद

Scanned by CamScanner

वादी स्वीकार कर ग्राम डोबडा एवं ग्राम कोथला, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजियात में से प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 7 का नाम हटाये जाने तथा ग्राम डोबडा की आराजी खसरा नम्बर 379 रकबा 0.41 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी नं. 1 को बराबर हिस्से का एवं आराजी खसरा नम्बर 301, 302, 303, 304, 367, 367/741, 375, 377, 413, 615, 618, 684 व 685 कुल किता 13 रकबा 9.93 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी नम्बर–1 को 1/5 हिस्से का तथा ग्राम कोथला, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 189/290, 190, 190/299, 191, 192/304, 192, 193, 194, 195, 195/300 व 196 कुल किता 11 रकबा 9.14 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी नम्बर–1 को 1/40 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

प्रकरण फैसल शुमार हो।

5. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया एवं टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 13 मार्च, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

13/3/2020

(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– अतुल प्रकाश, I.A.S. (P)

बउनवान :–

हनुमान आत्मज स्व. चतुर्भुज, उम्र 40 साल, जाति मीणा, निवासी ग्राम डोबडा, तहसील लाडपुरा, कोटा –(वादी)	
बनाम	
1.	गोकुल प्रसाद आत्मज स्व. चतुर्भज, उम्र 28 साल, जाति मीणा, निवासी ग्राम डोबडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2–6.	संजू, राजेश उर्फ राजूबाई, वीना, मीना, निर्मला पुत्रियां स्व. चतुर्भुज, जाति मीणा
7.	कलावती पत्नी स्व. चतुर्भुज, जाति मीणा
8.	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा – (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89 RTA
मुकदमा नम्बर : 46 / 18 RCMS id : 2018 / 00083
निर्णय दिनांक : 13-03-2020

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री उत्तमचन्द खण्डेलवाल की उपस्थिति में वादपत्र की बहस सुनने के बाद आज तारीख 13–03–2020 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी स्वीकार कर ग्राम डोबडा एवं ग्राम कोथला, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की विवादित आराजियात में से प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 7 का नाम हटाये जाने तथा ग्राम डोबडा की आराजी खसरा नम्बर 379 रकबा 0.41 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी नं. 1 को बराबर हिस्से का एवं आराजी खसरा नम्बर 301, 302, 303, 304, 367, 367/741, 375, 377, 413, 615, 618, 684 व 685 कुल किता 13 रकबा 9.93 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी नम्बर–1 को 1/5 हिस्से का तथा ग्राम कोथला, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 189/290, 190, 190/299, 191, 192/304, 192, 193, 194, 195, 195/300 व 196 कुल किता 11 रकबा 9.14 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी नम्बर–1 को 1/40 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह अन्तिम डिक्री आज तारीख 13.03.2020 को जारी की गई।

13/03/2020
(अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर, कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		

Scanned by CamScanner